Rcms 2016/00187

यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, आर.ए.एस.

नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी

प्रकरण संख्या : 229/2016 (अपील)

उनवान

1. दीनदयाल माता शांति बाई पिता तुलसीराम
2. चन्द्रकला माता शांति बाई पिता तुलसीराम
3. कोशल्या बाई माता शांति बाई पिता तुलसीराम
4. विमला बाई माता शांति बाई पिता तुलसीराम
5. रोशन बाई माता शांति बाई पिता तुलसीराम
6. सीमा बाई माता शांति बाई पिता तुलसीराम
7. सुनीता बाई माता शांति बाई पिता तुलसीराम
   जाति बैरवा निवासीगण बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां

(अपीलाण्टस)

बनाम

1. जग्गी बाई बेवा माधो वर्तमान जग्गी पत्नी मंगला जाति बैरवा
2. मंगला जाति बैरवा
3. शंकर पुत्र श्री मंगला जाति बैरवा
4. महावीर पुत्र श्री मंगला जाति बैरवा
5. कान्ति पुत्री श्री मंगला जाति बैरवा
6. छीता पुत्री श्री मंगला जाति बैरवा
   निवासीगण किशनवास तहसील पीपल्दा जिला कोटा
7. सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

(रेस्पोडेण्टस)

उपस्थित :– 1. श्री धनराज मेघवाल (अभिभाषक अपीलाण्टस)
2. श्री भारत सिंह अडसेला (अभिभाषक रेस्पोडेण्टस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के आदेश दिनांक 10.05.74
नामान्तकरण संख्या 81 ग्राम किशनवास तहसील पीपल्दा

निर्णय दिनांक : 14.10.2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के आदेश दिनांक 10.05.1974 बाबत नामान्तरकरण सं0 81 ग्राम किशनवास की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्टस की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अपीलान्टगण के नाना माधोलाल आत्मज औकार जाति बैरवा निवासी ग्राम किशनवास तहसील पीपल्दा जिला कोटा के खाते की आराजी खाता सं0 56 खसरा नं0 28 की 2 बीधा 7 बिस्वा, ख0 नं0 66 की 10 बीधा 5 बिस्वा, ख0 नं0 214 की 18 बिस्वा कुल 13 बीधा

10 बिस्वा भूमि पुस्तैनी चली आ रही है । अपीलाण्टगण के नामा माधो की मृत्यु के पश्चात माधोलाल जी का फोती नामान्तरकरण सं0 41 दिनांक 10.08.1974 को रेस्पो0 नं0 1 बेवा पत्नी जग्गी के नाम खोल दिया जबकि अपीलान्ट की माता शान्ति बाई माधो जी की एक मात्र पुत्री व वारिस मौजूद थी । उक्त इंतकाल मे माधो जी की कोई पुत्री नही होना बता कर समस्त आराजियात को रेस्पो0 नं0 1 ने अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि उक्त भूमि मे रेस्पो0 नं0 1 के साथ अपीलाटान की माता शांतिबाई का भी बराबर बराबर का हक व हिस्सा था । अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम किशनवास तहसील पीपल्दा स्थित कृषि भूमियों का नामा0 सं0 41 से मृतक माधो आ0 औकार का स्वर्गवास के पश्चात केवल मात्र रेस्पो0 नं0 1 के पक्ष मे यह कहते हुये कि मृतक के कोई पुत्र पुत्री नही है, तस्दीक करने के आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है । रेस्पो0 नं0 1 ने माधो की मृत्यु के बाद उसकी भूमि अपने खाते दर्ज करा देने के बाद मंगला से दूसरा विवाह कर लिया और वर्तमान मे मंगला की पत्नी के रूप मे निवास कर रही है इस कारण उक्त भूमि रेस्पो0 नं0 1 के खाते से हटायी जाकर अपीलान्टान के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है । शांतिबाई को व उसकी मृत्यु के बाद अपीलान्टान को उक्त इन्तकाल की किसी प्रकार से कोई जानकारी नही हुई अपीलान्टान दिनांक 25.05.2016 को रेस्पो0 नं0 1 के पास जाकर अपीलान्टान के नाना की उक्त भूमि उसके खाते दर्ज होने बाबत कहा इस पर अपीलान्टान ने कहा कि उसकी माता का नाम क्यो नही दर्ज हुआ तो रेस्पो0 कुछ नही बोली इस पर राजस्व रिकार्ड व नामा0 की जानकारी हासिल की और नकले दिनांक 25.08.2016 प्राप्त करने पर राजस्व रेकार्ड मे अपीलान्टान की माता व माधो जी पुत्री शांति बाई का नाम दर्ज नही होने की जानकारी हुई। दिनांक 25.08. 2016 से पूर्व नामा0 के बाबत कोई जानकारी नही हुई । अपीलान्टान द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि0 एक्ट प्रस्तुत कर दिनांक 25.05.16 से दिनांक 23.09.2016 तक अवधि कन्डोन करते हुए अपील अवधि मध्य स्वीकार कर अपील अपीलान्टान स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.05.1974 निरस्त किया जाकर नामा0 सं0 41 निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी अपीलान्टान के नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस मे जाहिर किया कि मृतक माधो का नामान्तरकरण उसकी बेवा जग्गी के हक मे सही रूप से तस्दीक किया गया । अपीलांट द्वारा उनकी माता शांतिबाई को मृतक खातेदार माधो की पुत्री होना बताते हुए उसका भी विवादित आराजी मे बराबर हिस्सा होना बताया है जबकि शांतिबाई का माधो की पुत्री होने के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नही किया । नामान्तकरण Fiscal proceeding है जिसमे 42 वर्ष बाद अधिकार तय नही करा सकते है । अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि0 एक्ट मे देरी को कण्डोन करने के जो कारण उल्लेखित किये है व विश्वसनीय एवं संतोषजनक नही है । अतः अपीलान्टान द्वारा अपील दायर करने मे की गयी देरी को कण्डोन करने के कोई न्यायसंगत आधार नही है । अतः अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया गया ।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रश्नगत नामान्तरकरण दिनांक 10.05.1974 को मृतक माधो का उसकी बेवा जग्गी के हक मे तस्दीक किया गया । अपीलांटान द्वारा उनकी माता शांति बाई को मृतक खातेदार माधो की पुत्री होना बताते हुए उसका भी विवादित आराजी में बराबर का हिस्सा होना बताया है । जबकि शांति बाई का माधो की पुत्री होने के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नही किया । ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र व शपथ पत्रों के आधार पर शांति बाई को माधो की पुत्री होना नही माना जा सकता । उक्त नामान्तरकरण को 40 वर्षो बाद चेलेन्ज किया है । अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि0 एक्ट मे देरी को कण्डोन करने के पर्याप्त कारण नही लिखे गये है । अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । नामान्तरकरण Fiscal proceeding है । अपीलान्टान का हक नियमित वाद मे बाद साक्ष्य ही तय हो सकता है । अत : अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.05.1974 बाबत नामान्तकरण सं0 81 यथावत रखा जाता है ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा